पत्रावली संख्याः– 71/2016/अपील

कजोड़ पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.09.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला मु.न. 13/2016 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम कजोड़

वकील अपीलांट श्री बनवारीलाल बरवड़

निर्णय

दिनांकः–29.12.2017

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला के हल्का पटवारी ने दिनांक 24.06.2016 को तहसीलदार खण्डेला के समक्ष रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1290 रकबा 0.17 है0 व खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. रास्ता पर जुताई करके कब्जा कर लिया है। अप्रार्थी को पूर्व से मौके पर से बेदखल किया जा चुका था, परन्तु उसके उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा पुनः जुताई करके अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदारं ने दिनांक 15.07.2016 को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15.09.2016 को बिना किसी जांच व बिना साक्ष्य सबूत के चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर अपीलांट को धारा 91(2) एल आर एक्ट के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं लगान का 50 गुणा शास्ती लगाने से दण्डित कर दिया। उक्त विवादित आराजियात की भूमि पर अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा अतिक्रमी नहीं है, बल्कि वह अपनी स्वयं की भूमि पर स्वामित्वधारी व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को अपना सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर तीन माह के साधारण कारावास की सजा का निर्णय पारित कर दिया परन्तु योग्य न्यायालय ने न तो मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की एवं ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाके ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1290 व 1494 पर पूर्व किया गया अतिक्रमण मैने हटा दिया है। तथा भविष्य में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करूंगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2012 द्वारा अपीलांट को खसरा नम्बर 1290, 1494 वाके ग्राम बावड़ी में से 0.18 है0 की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में बेदखल किये जाने हेतु आदेश पारित किया था एवं अब पुनः अतिक्रमण करने पर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट गै.मु. रास्ते की भूमि पर बार

Web Copy Not Official

और अतिक्रमण करने का आदि है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अपीलांट वाके ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1290 व 1494 के किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण नहीं करने के सम्बंध में प्रस्तुत किया है। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 के अनुसार मौके पर से उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/17

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official